Rashtriya Sahara-New Delhi - 21-07-2011

अशक्त छात्रों के लिए आसान हुई उच्च शिक्षा की राह

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अशक्त छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अशक्त वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) के सहयोग से सस्ते दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करने की योजना पेश की है।

इस योजना के तहत अशक्त छात्रों को अपने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त होगा, जबकि विदेश में शिक्षा प्राप्ति के लिए यह राशि अधिकतम 20 लाख रुपए होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस विषय में मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को पत्र लिखकर आयोग से सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों से इस योजना के बारे में उपयुक्त परामर्श जारी करने को कहा है ताकि अशक्त छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इस ऋण योजना के तहत अशक्त छात्रों से ऋण पर 4 प्रतिशत का मामूली ब्याज लिया जाएगा। अशक्त महिलाओं को ब्याज पर 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके तहत दो छात्रवृत्ति योजना पर अमल किया जा रहा है। इसमें एक स्नातक और स्नातकोत्तर पेशेवर एवं तकनीकी पाठ्यक्र म और दूसरी उच्चतर अकादमिक पेशवर या तकनीकी पात्रता हासिल

▶ सरकार ने सस्ते दर पर शिक्षा ऋण की योजना पेश की

करने से संबंधित है। ऐसे छात्र जो 40 प्रतिशत या अधिक अशक्तता के शिकार होंगे, वे इस ऋण योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऋण का भुगतान सात वर्ष की अवधि में किया जा सकता है। यह पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष बाद या नौकरी प्राप्त होने के छह महीने बाद से शुरू होगा।

अधिकारी ने बताया कि ऋण योजना को लागू करने के लिए समिति बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा) के प्रतिनिधि तथा यूजीसी के प्रतिनिधि आदि शामिल होंगे। आवेदनों की छंटनी का कार्य उपयुक्त एजेंसी को दिया जाएगा जो समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करेगी।

कानून के तहत सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अशक्त छात्रों के लिए तीन प्रतिशत सीट आरक्षित करने की जरूरत बताई गई है, लेकिन वित्तीय परेशानियों के कारण छात्र उच्च शिक्षा के लिए आगे नहीं आते हैं। इसके चलते वास्तव में एक प्रतिशत सीट मुश्किल से भर पाती है। सरकार का मानना है कि इस ऋण योजना से न न केवल उच्च शिक्षा के लिए अशक्त छात्र आगे आएंगे, बल्कि उनके लिए आरक्षित सीटों को भरने में भी मदद मिलेगी।